

**न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्य.वाद क्र.-53ए/2014

प्रस्तुति दिनांक-24.01.2007

फाई.क्र.234503000462007

शंकरलाल पिता मंशाराम, उम्र-40 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम थुर्रेमेटा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - वादी

बनाम

1-खेमसिंह पटले पिता दुर्जन, उम्र-45 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-ग्राम थुर्रेमेटा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-चन्दुलाल पिता जीवनलाल, उम्र-60 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-ग्राम थुर्रेमेटा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-धामेश्वर पिता दुर्जन उम्र-35 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-ग्राम थुर्रेमेटा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-महेश पिता दुर्जन उम्र-32 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-ग्राम थुर्रेमेटा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

5-श्रीमती केशरबाई पति दुर्जन उम्र-60 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी-ग्राम थुर्रेमेटा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

6-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, बालाघाट
जिला बालाघाट(म.प्र.)

- - - - - प्रतिवादीगण

-: / / निर्णय / /:-

(आज दिनांक-21/07/2015 को घोषित)

1- वादी ने यह व्यवहार वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा थुर्रेमेटा प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. व तहसील बिरसा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-39/3, रकबा 0.06/0.024 हेक्टेअर तथा खसरा नंबर-39/2, रकबा 0.44/0.178 हेक्टेअर भूमि तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 3 से 4 ने वादी के विरुद्ध प्रतिदावा पेश कर खसरा नंबर-39/5, रकबा 2.270 हेक्टेअर भूमि (उक्त सभी भूमियों को आगे विवादित

भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) पर स्वत्व की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा है।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3— वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने खसरा नंबर-39/3, रकबा 0.06 डिसमिल भूमि कन्हैयासिंह दुबे वल्द मलामत राय से दिनांक-29.09.1997 को क़य किया था, जिस पर तीन कमरे का मकान बना हुआ था तथा खसरा नंबर-39/2, रकबा 0.44 डिसमिल भूमि पर प्रकार कुमार, राजेश कुमार दोनों पिता राजकुमार से दिनांक-29.09.1997 को क़य किया था, तब से वादी उक्त भूमियों पर मालिक काबिज हैं। प्रतिवादीगण द्वेष की भावना रखते हुए दिनांक-18.12.06 को वादी के कब्जे की भूमि पर आये और अवैधानिक रूप से प्रवेश कर हस्तक्षेप करने लगे। अतः प्रतिवादीगण को अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के लिए सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जावे।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 3 व 4 ने जवाबदावा तथा प्रतिदावा प्रस्तुत कर वादी के अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि वादी ने विवादित भूमि की चर्तुसीमा बताई है, वह गलत है। वादी ने खसरा नंबर-39/3 को उत्तर दिशा में कच्चा रास्ता बताया है, वहां पर कच्चा रास्ता न होकर प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 के हक मालिकी की खसरा नंबर-39/5 की भूमि है। इसी प्रकार दक्षिण में कच्चा रास्ता न होकर 39/2 की भूमि में पूर्व में सरकारी भूमि न होकर 39/2 की भूमि है तथा पश्चिम में मंशाराम की भूमि न होकर प्रतिवादी क्रमांक-1, 3, 4 की खसरा नंबर 39/5 की भूमि स्थित है। इसी प्रकार खसरा नंबर-39/2, रकबा 0.44 डिसमिल भूमि के उत्तर में मंशाराम की भूमि न होकर प्रतिवादी क्रमांक-1, 3, 4 की 39/5 की भूमि तथा 39/3 की भूमि दक्षिण में जीवन की भूमि न होकर 39/5 की भूमि पूर्व में अगनू की भूमि न होकर सरकारी भूमि है तथा पश्चिम में कच्चा रास्ता न होकर प्रतिवादीगण क्रमांक-1, 3, 4 खसरा नंबर-39/5 की भूमि है। वादीगण खसरा नंबर-39/5, रकबा 2.270 हेक्टेअर, मौजा थुरैमेटा, प.ह.नं. 4, रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट जो कि प्रतिवादी क्रमांक-1, 3, 4 के हक मालिकी एवं कब्जे की भूमि है पर वाद कुछ हिस्से को कब्जा कर लेने की नियत रखता है और झूठे फंसाये जाने की

धमकी देता है। इस प्रकार वादी खसरा नंबर 39/5 की भूमि पर अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर रहा है, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जावे।

5— प्रतिवादी क्रमांक-2, 5, 6 ने जवाबदावा पेश नहीं किया है तथा वे प्रकरण में एकपक्षीय हैं।

6— वादी ने प्रतिवादीगण के प्रतिदावा के लिखित कथन में प्रतिदावा के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक-1, 3, 4 ने जो कुछ हिस्से में हस्तक्षेप किये जाने का कथन किया है, उसे स्पष्ट किया जाना था। प्रतिवादीगण ने झूठा व परेशान करने की नियत से प्रतिदावा पेश किया है, जिसे खारिज किया जावे।

7— प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के निर्णय दिनांक-14.07.2009 अनुसार वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिदावा खारिज किया गया है, जिसके विरुद्ध वादी ने असंतुष्ट होकर व्यवहार अपील पेश की थी। माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक-30.08.2012 के अनुसार प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि के सीमांकन के लिए राजस्व निरीक्षक के जरिए रिपोर्ट प्राप्त कर, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मामलों का गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निराकरण करें। माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की विवादित भूमि का राजस्व निरीक्षक सीमांकन करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस मामलों का गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निराकरण किया जा रहा है।

8— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या विवादित भूमि खसरा नंबर 39/3, रकबा 0.06 एकड़, जिसकी चतुर्थ सीमा उत्तर दिशा में कच्चा रास्ता, दक्षिण में कच्चा रास्ता, पूर्व में सरकारी भूमि एवं पश्चिम में मंशाराम की भूमि तथा खसरा नंबर-39/2, रकबा 0.44 एकड़ जिसकी चतुर्थ सीमा उत्तर दिशा में मंशाराम की भूमि दक्षिण में जीवन की भूमि पूर्व में अगनु की भूमि एवं पश्चिम में कच्चा रास्ता स्थित है, का वादी स्वत्वधारी एवं आधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित नहीं

2	क्या विवादित भूमि खसरा नंबर 39/5, रकबा 2.270 हेक्टेअर, प.ह.नं. 47 मौजा थुर्रेमेटा रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट की भूमि प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 के हक व स्वामित्व की भूमि है ?	प्रमाणित
3	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 विवादित भूमि खसरा नंबर 39/3, रकबा 0.06 एकड़ है तथा खसरा नंबर 39/2, रकबा 0.44 एकड़ पर अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या वादी विवादित भूमि खसरा नंबर 39/5, रकबा 2.270 हेक्टेअर, प.ह.नं. 47 मौजा थुर्रेमेटा, रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट की भूमि अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर रहा है ?	प्रमाणित नहीं
5	क्या वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं ?	प्रमाणित नहीं
6	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-1 एवं 3 का निराकरण

9— उक्त दोनों वादप्रश्न का सुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण कराए जाने हेतु नियुक्त कमिश्नर राजस्व निरीक्षक बिरसा के द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान तैयार विवादित भूमि का स्थल पंचनामा प्रदर्श पी-7, राजस्व नक्शा प्रदर्श पी-8, राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10 एवं प्रदर्श पी-11 के स्थल पंचनामा प्रदर्श पी-12 तैयार कर पेश किया गया है। उक्त दस्तावेजों के अनुसार कमिश्नर राजस्व निरीक्षक बिरसा ने वादी की खसरा नंबर 39/2, 39/3 रकबा क्रमशः 0.170, 0.024 हेक्टेअर पर विक्रयपत्र दिनांक-29.09.1997 के अनुसार भूमि स्वामी के रूप में वादी शंकरलाल का नाम दर्ज होना बताया है, किन्तु उक्त विवादित भूमि के विक्रयपत्र में दर्शित चौहदी सीमा वर्तमान कब्जे की सीमा के अनुसार नहीं होना भी बताया है।

10— वादी शंकरलाल (वा.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अपने अभिवचन के अनुरूप विवादित भूमि खसरा नंबर 39/3, रकबा 0.06 एकड़ भूमि के उत्तर दिशा में कच्चा रास्ता, दक्षिण में कच्चा रास्ता, पूर्व में सरकारी भूमि व पश्चिम में मंशाराम की भूमि होना बताया है तथा खसरा नंबर 39/2, रकबा 0.44 एकड़ भूमि के उत्तर में

मंशाराम की भूमि, दक्षिण में जीवन की भूमि, पूर्व में अगनु की भूमि व पश्चिम में कच्चा रास्ता होना बताया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने राजस्व नक्शा प्रदर्श पी-6 को सुधरवाने के लिए राजस्व न्यायालय में प्रकरण पेश किया था, किन्तु कुछ नहीं हुआ। प्रकरण में कमिश्नर राजस्व निरीक्षक बिरसा के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 में उक्त विवादित भूमि खसरा नंबर 39/2, 39/3 की चौहदी सीमा पूर्व में शासकीय भूमि, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में खेमसिंह थामेश्वर, महेश की भूमि स्थित होना बताया गया है। इस प्रकार वादी के द्वारा उल्लेखित विवादित भूमि की चर्तुसीमा से हटकर कमिश्नर के द्वारा चर्तुसीमा का लेख किया गया है।

11— प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचन में वादी की विवादित भूमि की चर्तुसीमा गलत लेख किया जाना बताया है, जिसका समर्थन कमिश्नर के प्रतिवेदन से भी होता है। वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी गोहरालाल (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह विवादित भूमि की चर्तुसीमा नहीं जानता। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय न होने से वादी को उसके कथन से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है। उक्त साक्षी के अलावा वादी ने अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

12— प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी विवादित भूमि का स्थल परीक्षण करने वाले कमिश्नर राजस्व निरीक्षक बिरसा दामोदर प्रसाद न्यायालयीन साक्षी क्रमांक-1 की साक्ष्य से मामलें में विवादित भूमि का स्थल परीक्षण प्रतिवेदन व पंचनामा को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि शंकरलाल की भूमि 39/2, 39/3 के राजस्व नक्शे के अनुसार वह काबिज नहीं है, बल्कि अन्य भूमि पर काबिज है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 39/2, 39/3 की उत्तर दिशा में रास्ता नहीं है, बल्कि अन्य भूमि है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त खसरा नंबर की भूमि से लगकर किसी भी दिशा में मंशाराम की भूमि नहीं है और न ही रास्ता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मौके पर सीमांकन करने पर प्रतिवादीगण की खसरा नंबर 39/5, रकबा 5.61 एकड़ भूमि खेमसिंह, थानेश्वर व महेश की भूमि पाई गई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि कम निकली है।

13— इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि वादी ने उसके हक व आधिपत्य वाली विवादित भूमि की वास्तविक चतुर्सीमा का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि प्रस्तुत साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि वादी के द्वारा विवादित भूमि के विक्रयपत्र में गलत चतुर्सीमा लिखे जाने के आधार पर वही चतुर्सीमा का उल्लेख अपने अभिवचन में करते हुए यह दावा पेश किया गया है। इस प्रकार वादी के द्वारा स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया है। वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना प्रकट नहीं होता है, बल्कि स्वयं वादी अपनी भूमि को छोड़कर अन्य की भूमि पर काबिज होने की अधिसंभावना प्रकट होती है। इस प्रकार वादी ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 39/3, रकबा 0.06 एकड़, जिसकी चतुर्थ सीमा उत्तर दिशा में कच्चा रास्ता, दक्षिण में कच्चा रास्ता, पूर्व में सरकारी भूमि एवं पश्चिम में मंशाराम की भूमि तथा खसरा नंबर-39/2, रकबा 0.44 एकड़ जिसकी चतुर्थ सीमा उत्तर दिशा में मंशाराम की भूमि दक्षिण में जीवन की भूमि पूर्व में अगनु की भूमि एवं पश्चिम में कच्चा रास्ता स्थित है, का वादी स्वत्वधारी एवं आधिपत्यधारी है। वादी ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 एवं 3 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-2 का निराकरण

14— प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में उसकी विवादित भूमि खसरा नंबर 39/5 का राजस्व नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 पेश की है, जिससे यह प्रकट होता है कि वादीगण की खसरा नंबर 39/2 एवं 39/3 की भूमि से लगकर प्रतिवादीगण की खसरा नंबर 39/5 की भूमि स्थित है। खसरा नंबर 39/5 का खसरा फार्म की प्रतिलिपि प्रदर्श डी-2 में प्रतिवादीगण का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण की ओर से साक्षी महेश (प्रा.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उन्होंने वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत करने के बाद अपना दावा पेश किया है।

15— प्रकरण में प्रतिवादीगण की विवादित भूमि खसरा नंबर 39/5 पर प्रतिवादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य होने के संबंध में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध है, जिसका खण्डन वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है, इस प्रकार यह

तथ्य प्रमाणित है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 39/5, रकबा 2.270 हेक्टेअर, प.ह.नं. 47 मौजा थुर्रेमेटा रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट की भूमि प्रतिवादीगण क्रमांक-3 व 4 के हक व स्वामित्व की भूमि है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-2 "प्रमाणित" के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण

16— यह साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि उनकी स्वत्व व आधिपत्य वाली भूमि पर वादी के द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भूमि खसरा नंबर 39/5 पर वादी के द्वारा कथित धमकी किये जाने के संबंध में प्रस्तुत वाद कारण दिनांक-08.10.06 बताया गया है, किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से पुलिस थाना या राजस्व अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। स्वयं प्रतिवादी साक्षी शंकरलाल (प्र.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उभयपक्ष के मध्य जमीन का विवाद होने पर वे न्यायालय में आये हैं। वादी शंकरलाल के वाद लाने के बाद जमीन के संबंध में कोई वाद-विवाद या झगड़ा उभयपक्ष के मध्य नहीं हुआ है। उसे उभयपक्ष के बीच झगड़े की तारीख याद नहीं है।

17— विवादित भूमि का स्थल परीक्षण करने वाले कमिश्नर राजस्व निरीक्षक बिरसा दामोदर प्रसाद न्यायालयीन साक्षी क्रमांक-1 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि कम निकली है, किन्तु यह नहीं बताया है कि वादी ने प्रतिवादीगण की भूमि पर किसी प्रकार का आधिपत्य किया है। प्रतिवादीगण ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि उनकी खसरा नंबर 39/5 की भूमि के कितने भू-भाग पर वादी के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के आधिपत्य वाली खसरा नंबर 39/5 पर वादी के द्वारा कथित हस्तक्षेप किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-4 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-5 का निराकरण

18— वादी ने उनके आधिपत्य वाली भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना प्रमाणित नहीं किया है तथा प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 ने भी उनके आधिपत्य वाली भूमि पर वादी के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना प्रमाणित नहीं किया है।

इस प्रकार वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 को वादी के विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-5 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

19- वादी ने अपना वाद तथा प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 ने प्रतिदावा प्रमाणित नहीं किया है। अतएव प्रकरण में निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

- (1) वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
- (2) प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 का प्रतिदावा निरस्त किया जाता है।
- (3) उभयपक्ष अपना वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर